



विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर
लखनऊ-226010
CIN : U32201UP1999SGCO24928

आवश्यक सूचना

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित वाद सं० 13402/2003 में दिनांक 08.01.2004 में पारित आदेश एवं मा० उच्चतम न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं० (C) No. 1305/2018 in C.A. No. 6655/2015 में दिनांक 22.10.2018 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में 29 छँटनीशुदा मस्टररोल कर्मियों, जो उपरोक्त वादों में वादी हैं, के श्रमिक पद पर चयन के सम्बन्ध में दिनांक 11.11.2018 को सम्पन्न साक्षात्कार में उपस्थित 27 छँटनीशुदा मस्टर-रोल कर्मियों में से निम्नलिखित को श्रमिक पद पर चयनित घोषित किया जाता है :-

क.सं.	कंट्रोल संख्या	छँटनीशुदा मस्टररोल कर्मिक का नाम	पिता का नाम
1	18001	श्री ओम प्रकाश जयसवार	स्व० सीता राम
2	18002	श्री अरुण कुमार	स्व० सन्त लाल
3	18003	श्री आजाद कुमार	श्री महंगू राम
4	18004	श्री राम लाल	श्री पन्ना लाल
5	18005	श्री बाबू लाल	श्री सेवा राम
6	18006	श्री विजय कुमार	श्री चहेटू राम
7	18007	श्री सत्य प्रकाश	श्री राम धनी राम
8	18008	श्री विद्या सागर	श्री रईमल
9	18009	श्री छितेश्वर	श्री निवास राम
10	18011	श्री महेन्द्र प्रसाद	श्री शोभा राम
11	18012	श्री अरुण कुमार	श्री जगरूप
12	18014	श्री राजू प्रसाद	श्री मोहन राम
13	18016	श्री मंगल राम	श्री कल्लू राम
14	18017	श्री जय राम	श्री बिजली प्रसाद
15	18022	श्री बच्चन राम	श्री अमीर राम
16	18023	श्री छवि नाथ शास्त्री	श्री भिक्खू राम
17	18024	श्री अवधेश कुमार	श्री श्याम लाल
18	18025	श्री नागेश कुमार भारती	श्री गंगा राम
19	18026	श्री सतीश कुमार भारती	श्री हरी प्रसाद



(2) निम्नलिखित 07 छँटनीशुदा मस्टररोल कर्मियों का चयन प्रस्तुत अभिलेखों में नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि में भिन्नता होने के कारण लम्बित रखा गया है। उपरोक्त कर्मियों के निराकरण के उपरान्त चयन पर विचार किया जायेगा।

क.सं.	कंट्रोल संख्या	छँटनीशुदा मस्टररोल कर्मिक का नाम	पिता का नाम
1	18010	श्री अमर नाथ भारती	श्री किशुन राम
2	18013	श्री शिव कुमार	श्री राम दुलार राम
3	18015	श्री कैलाश	स्व0 बैजनाथ प्रसाद
4	18019	श्री अवध बिहारी प्रसाद	श्री राम तपेश्वर प्रसाद
5	18027	श्री राधे श्याम	श्री पूरनवासी
6	18028	श्री लक्ष्मन प्रसाद	श्री सुकदेव राम
7	18029	श्री चन्द्रिका सिंह यादव	श्री हरदेव सिंह यादव

(3) राजू पुत्र श्री राम उग्रह जिन्हें देवनागरी लिपि में पढ़ने-लिखने का ज्ञान नहीं है, को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित वाद सं0 13402/2003 में दिये गये निर्देशानुसार एक अवसर इस प्रतिबन्ध के साथ दे दिया जाता है कि वह प्रौढ़ शिक्षा का लाभ लेते हुए तीन माह में पढ़ने-लिखने की दक्षता हासिल कर लें, तदोपरान्त उनके चयन पर पुर्नविचार किया जायेगा।

नोट:

- 1- यह मेरिट लिस्ट नहीं है।
- 2- यद्यपि उपरोक्त चयन परिणाम के प्रकाशन में सभी प्रकार की सावधानियाँ अपनाई गई हैं, फिर भी मुद्रण त्रुटि के लिये विद्युत सेवा आयोग जिम्मेदार नहीं है तथा सभी प्रकार के भूल-चूक सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 3- उपरोक्त सूची में नाम के मात्र प्रकाशन से अंतिम रूप से सफल चयन किये जाने अथवा नियुक्ति प्राप्त किये जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।
- 4- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत अर्हता सम्बन्धी अथवा अन्य कोई सूचना/अभिलेख किसी भी स्तर पर गलत/असत्य/अपूर्ण पाये जाने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5- उपरोक्त चयन उपरोक्त वादों एवं समान प्रकार के योजित वादों के प्रतिबन्धाधीन है।
- 6- नियुक्ति दिये जाने का सम्पूर्ण वैधानिक अधिकार उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, के अधीन है।

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

पत्रांक: 4557/विसेआ/मस्टररोल दिनांक: 29/11/ 2018





